न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 59/2019

बउनवानः—

प्रेमशंकर पुत्र श्री रामनाथ मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

1. रामदयाल पुत्र केदारलाल जाति मीणा निवासी हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादी : श्री अमित कुमार गौड

वकील प्रतिवादी : श्री विरेन्द्र सिंह

दायरा दिनांकः 05.08.2019 निर्णय दिनांक : 26.09.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी की मृतक माता कंचन बाई पत्नि रामनाथ मीणा निवासी हिंगोनिया के खाते की आराजी खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 298 रकबा 3.39 है0 खसरा नम्बर 315 रकबा 0.90 है0, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.51 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 4.80 है0 ग्राम पाडलिया तह0 मांगरोल में दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी वादी की मृतक माता के नाम रेकार्ड दर्ज है। जिसकी मृत्यु बाद वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी में खसरा नम्बर 298 रकबा 3.39 है0 ही विवादित है। दिनांक 07.07.2019 को उक्त वर्णित विवादित आराजी में करीबन 30 फिट अन्दर बिना किसी विधिक अधिकार के अनाधिकृत प्रवेश कर प्रार्थी के कब्जे काश्त व उसकी मृतक माता कंचन बाई के खाते की आराजी को हांक दिया। आराजी के हिस्से को हांकने बाबत प्रतिवादी कम 1 से पूछा तो वह लडाई झगडे पर आमादा हो गया प्रतिवादी कम 1 प्रभावशाली व्यक्ति है। अतः प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वह उक्त वर्णित विवादित आराजी में दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.08.2019 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह ने वकालत नामा प्रस्तुत किया तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 ने मजमेआम में उपस्थित होकर दिनांक 26.09.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद नही है तथा

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

पुरानी स्थित मेढ को कायम रखे जाने में सहमति प्रदान की तथा अंकन किया कि पुरानी मेढ को ई भी पक्षकार नही हटायेगा। वादी प्रतिवादी की सहमति से पैमाईश करवाकर पक्षकारो की संतुष्टि अनुसार नई मेढ बनवा दी जावेगी।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। दिनांक 26.09.2019 को वादी व प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया राजीनाम को शामिल पत्रावली किया गया तथा पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात व राजीनामा पत्र के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम हिंगोनिया की आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 3.39 है0 पर स्थित पुरानी मेढ को यथावत रखा जावें तथा हल्का पटवारी से पैमाईश नही करवाये जाने तक दोनो पक्षकारो को पाबंद किया जाता है कि अपने कब्जे काश्त की आराजी पर कायम रहे व पुरानी मेढ की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2019 को सरेईजलास में सुनाया गया।

(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल